छत्तीसगढ़ शाला संकुल योजना

प्राचार्यों को अपने शाला संकुल में गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु जिम्मेदारी की पहल

मई, 2022

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

योजना का उद्देश्य

राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के "शाला संकुल" योजना के क्रियान्वयन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए हाई अथवा हायर सेकंडरी शालाओं के प्राचार्यों को अपने शाला संकुल के भीतर की शालाओं/ बालवाडियों के संचालन हेतु अकादमिक जिम्मेदारियां

वर्तमान परिदृश्य

स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य स्तर पर प्रशासकीय नियंत्रण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), जिले स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एवं विकासखंड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEdO) एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEdO) कार्यरत हैं। विभाग को अकादमिक समर्थन हेतु राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, जोनल स्तर पर दो शिक्षा महाविद्यालय- एक उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE, बिलासपुर), एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (CTE, रायपुर) जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) एवं बुनियादी शिक्षण संस्थान (BTI) कार्यरत हैं। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में विभाग को समर्थन देने हेतु राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिले स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, विकासखंड स्तर पर विकासखंड स्रोत केंद्र (BRC) एवं संकुल स्तरों पर संकुल स्रोत केंद्र (CRC) संचालित हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग का मुख्य एवं एकमात्र उद्देश्य शालाओं में बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करना है परन्तु विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने लिए कुछ चुनिन्दा कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए उन्ही कार्यों के क्रियान्वयन पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर कार्य करते हैं। इन सभी विभागों में आपस में भी तालमेल के अभाव से जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय हम अपने मुख्य उद्देश्य से भटककर अपना ध्यान कहीं और लगाकर अपनी ऊर्जा का अनावश्यक अपव्यय करने लगते हैं। इन सभी के कार्यों को किसी एक स्तर पर फोकस करते हुए विकेन्द्रित कर लागू करने से हम विभागीय कसावट एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण कर बच्चों की उपलब्धि में सुधार लाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।

छोटे बच्चों के लिए विभिन्न बसाहटों में आंगनबाडी संचालित हैं जिनका प्रशासकीय नियंत्रण महिला एंव बाल विकास विभाग के पास है। आँगनबाडियों में बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं अन्य कई मुद्दों पर फोकस होता है। इस सत्र से हम इन आंगनबाड़ियों में पांच आयु वर्ग के बच्चों के लिए बालवाडी भी संचालित करेंगे। बालवाडी में सीखने-सिखाने की जिम्मेदारी प्राथमिक शाला से चयनित शिक्षक की होगी। प्राथमिक शालाओं में औसतन दो शिक्षक एवं पाँच कक्षाएं होती हैं। उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रायः तीन शिक्षक और पाँच छह विषय होते हैं। हायर सेकंडरी में विषय शिक्षकों के अभाव में कई बार निचली कक्षाओं के योग्य शिक्षकों को इन कक्षाओं में अध्यापन के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती है। विभिन्न स्तरों पर सभी एक दूसरे को गुणवत्ता में ह्रास के लिए जिम्मेदार बताते हुए ऊपर से नीचे तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है और कोई भी बच्चों के गुणवत्ता के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता। (Blame game)

कक्षा आठवीं तक शिक्षा का अधिकार लागू है और नो डिटेंशन नीति के चलते किसी भी कक्षा में बच्चों को रोका नहीं जाता और पहले कक्षावार स्पष्ट लर्निंग आउटकम के अभाव में यह तय नहीं हो पाता था की किस कक्षा में बच्चों को कितना कुछ आ जाना चाहिए। इस वजह से बहुत से बच्चे बहुत सी दक्षताओं को न सीखने के बावजूद भी आगे की कक्षाओं में उत्तीर्ण होते होते कक्षा नवमीं में आकर आगे पढने में परेशानी महसूस करते हुए बहुत कम अंकों से उत्तीर्ण होना अथवा मेहनत न कर पाने की स्थिति में फेल होकर बड़ी संख्याओं में ड्राप आउट बन जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इन मुद्दों पर मानिटरिंग के लिए एक व्यवस्थित तंत्र है पर उसके ऊपर इन सब कार्यों के लिए अलग से व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। अब वास्तव में अगली कक्षा में जाने का सर्टिफिकेट इस बात का द्योतक है कि उसे पिछली कक्षा के लिए निर्धारित सभी दक्षताएं आती हैं। शिक्षा के अधिकार क़ानून के अंतर्गत जो भी प्रधान पाठक बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर रहे हैं वे इस बात को ध्यान में रखें कि वे उस दस्तावेज में हस्ताक्षर कर रहे हैं जो यह कहता है कि उस बच्चे को आपने पिछली कक्षा के सभी लर्निंग आउटकम अच्छे से सिखा दिए हैं। यह शिक्षा के अधिकार क़ानून के अंतर्गत आप कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम को अच्छे से सभी बच्चों में हासिल करवाते हुए ही अगली कक्षा के लिए तैयार कर आगे भेजने हस्ताक्षर करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत से बदलाव किए गए हैं जिनके जमीनी स्तर पर क्रियानव्यन की जिम्मेदारी भी शाला संकुल प्राचार्यों की होगी। अतः सभी प्राचार्यों को अपने आसपास विभाग में हो रहे बदलावों पर सतत नजर रखनी होगी।

शाला संकुल प्राचार्य के दायित्व

- राज्य, जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं जिम्मेदारियों का अपने शाला संकुल में क्रियान्वयन
- राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय कर अपने शाला संकुल में शिक्षकों का सतत क्षमता विकास
- राज्य एवं जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा से प्राप्त दिशानिर्देशों का अपने शाला संकुल में समय पर पालन सुनिश्चित करना
- अपने संकुल की आंगनबाडी से लेकर हायर सेकंडरी स्तर की सभी शालाओं का अकादमिक नियंत्रण एवं उचित मार्गदर्शन देना
- अपने अधीनस्थ शालाओं में विषयवार शिक्षकों एवं नियमित अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित करने आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु दिशानिर्देश देना
- शिक्षकों के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाकर विषय आधारित क्षमता विकास
- प्रतिमाह न्यूनतम सात दिन शालाओं के निरीक्षण के लिए नियत कर सघन निरीक्षण
- शाला संकुल में शैक्षिक कैलेण्डर का निर्धारण कर समय पर पालन सुनिश्चित करना
- संकुल स्त्रोत समन्वयकों एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर शाला निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का नियमित फ़ोलो-अप एवं अकादमिक कसावट की दिशा में मिलकर संयुक्त प्रयास
- विद्यार्थी हितग्राही योजनाओं को समय पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
- बच्चों में लर्निंग आउटकम की नियमित रूप से ट्रेकिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण
- शिक्षकों के वित्तीय/ प्रशासकीय एवं उनके शिकायतों का समय पर निपटारा करने हेतु आवश्यक पहल
- सामुदायिक सहयोग से शालाओं में संसाधन लाने हेतु आवश्यक प्रयास
- सभी शालाओं में समय पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ साथ समय का सीखने-सिखाने हेतु अधिकतम उपयोग
- शालाकोश/ यूडाईस/यूडीएस प्रणाली में आंकड़ों का निर्धारित समय में अद्यतीकरण
- शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन कर ऊपर डाईट में भेजकर प्रशिक्षण के आयोजन में आवश्यक सहयोग करना
- शाला प्रबन्धन समितियों के सदस्यों का समय समय पर क्षमता विकास कर उनके माध्यम से शाला प्रबन्धन में आवश्यक सहयोग लेना

- अप्रवेशी, शाला त्यागी एवं लंबे समय से अनुपस्थित बच्चों की पहचान कर उनके सेतु पाठ्यक्रम आयोजित कर आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश की दिशा में कार्य
- बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा सुविधा देने आवश्यक संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध कराना
- शिक्षकों को लर्निंग आउटकम आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर अध्यापन करने समुचित व्यवस्थाएं
- समय पर विभिन्न सुविधाओं जैसे पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, गणवेश एवं सायकल जैसी विभिन्न सुविधाओं का वितरण
- दिव्यांग बच्चों को समावेशी अथवा आवश्यकतानुसार अन्य सुविधा देने हेतु पहल
- बालिकाओं की शिक्षा एवं वंचित वर्गों की शिक्षा हेतु आवश्यक योजनाएं
- विभिन्न स्तरों पर बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु समय समय पर फोर्मेटिव, सावधिक एवं समेटिव आकलन को सही तरीके से आयोजन में सहयोग
- सभी शालाओं में शाला सुरक्षा संबंधी मापदंडों का पालन एवं समय समय पर सुरक्षा संबंधी ओडिट का आयोजन

और सबसे महत्वपूर्ण-

- अपने अधीनस्थ सभी शालाओं में सभी बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी से संबंधित सभी दक्षताओं को यथाशीघ्र हासिल करवाना

अपेक्षित बदलाव

- शिक्षकों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं अकादमिक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण
- शाला संकुल के शिक्षकों में आपसी समन्वय एवं एक दूसरे से सीखने हेतु आवश्यक माहौल उपलब्ध हो पाना
- विभिन्न योजनाओं का धरातलीय स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग
- उच्च कार्यालयों के कार्यों के विकेंद्रीकरण होने से उन्हें अकादमिक कार्यों में ध्यान देने हेतु समुचित समय उपलब्ध हो पाना
- शासकीय शालाओं में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार होने से पालकों एवं समुदाय का शासकीय शालाओं के प्रति विश्वास में बढ़ोत्तरी